BY HAND/ EMAIL/ REGD. AD

विकसित भारत अभियान

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

फा.सं. II–31(03)सीसीयू/जेजेड/2025/ दिनांक : 24-04-2025

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल–1 (रू 18000–56900) में एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में **हवलदार (ग्रुप–स)** के पद पर **अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव** दिया जाता है:–

S. No.	Name of Candidate (Sh./Ms.)	Date of Birth	Category	Appointment Order
1	BHAGYASHREE KUMAWAT	29.07.2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96636 dated 24.04.2025
2	RAMSINGH YADAV	20.08.2005	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96639 dated 24.04.2025
3	SUNIL KUNDARA	15.07.2001	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96642 dated 24.04.2025
4	POOJA GURJAR	01.07.2003	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96643 dated 24.04.2025
5	DHARMENDRA CHOUDHARY	20.08.2002	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96645 dated 24.04.2025
6	YUNUS KHAN	16.02.2004	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96646 dated 24.04.2025
7	HEMANT	21.08.2002	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96649 dated 24.04.2025
8	PULKIT PARIK	09.12.1999	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96651 dated 24.04.2025
9	AKASH CHEJARA	12.12.2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96652 dated 24.04.2025
10	SURESH LEEL	06.02.2002	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96656 dated 24.04.2025
11	PRAHLAD BENIWAL	20.05.2000	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96658 dated 24.04.2025
12	PRADEEP SAINI	12.08.2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96662 dated 24.04.2025
13	MAYANK SHARMA	01.07.1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96664 dated 24.04.2025
14	MANOHAR	08.04.2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96667 dated 24.04.2025
15	ANSHU SINGH	21.11.2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96668 dated 24.04.2025
16	PRADEEP KUMAR SAIN	01.07.1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96672 dated 24.04.2025
17	ANKIT CHOUDHARY	15.01.2002	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96673 dated 24.04.2025
18	DEVENDRA KUMAR SAINI	26.11.2002	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96675 dated 24.04.2025
19	MOHIT MEENA	05.01.2003	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96679 dated 24.04.2025

Website: www.cgstjaipur.gov.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE

20	PRINCE	06.05.2003	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96680 dated 24.04.2025
21	RAMAVTAR NAIN	18.03.1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96 682dated 24.04.2025
22	GAGAN KAPOOR	17.07.2000	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96686 dated 24.04.2025
23	ONKAR SINGH	02.07.1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96687 dated 24.04.2025
24	SUMIT YADAV	08.08.1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96691 dated 24.04.2025
25	ROSHAN MEENA	20.06.2005	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96693 dated 24.04.2025
26	ROHIT SHARMA	27.12.1998	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96694 dated 24.04.2025
27	VISHAL CHHAPOLA	20.03.2002	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96695 dated 24.04.2025
28	MAHENDRA KUMAR MEENA	30.06.2003	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96699 dated 24.04.2025
29	RAGHAV PATODIYA	04.07.2001	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96707 dated 24.04.2025
30	SANYAM KALOSIA	06.04.1994	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96709 dated 24.04.2025
31	ATUL KUMAR	03.05.2003	UR + PH (Others)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96710 dated 24.04.2025
32	TARUN KAKRAN	07.08.2000	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96712 dated 24.04.2025
33	MANISH	30.01.1998	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Havaldar/96714 dated 24.04.2025

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर–''अ'' में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगी :–

1. उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम (Provisional) है तथा इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

2. उनका हवलदार के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

3. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 9 एवं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.03.2024 के अनुसार अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के पश्चात एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण (Mandatory Induction Training) से गुजरना होगा, जिसे उत्तीर्ण करना अगली पदोन्नति के लिए आवश्यक होगा।

4. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढाई जा सकती है : (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।

5. उनकी हवलदार श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

6. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।

7. यदि वे संलग्न **<u>एनक्जर–''अ'' एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों</u>** को स्वीकार करते हों तो दिनांक **<u>26.05.2025</u>** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को हवलदार पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्नः– एनक्जर–''अ''

महाबीर सिंह मीना 24.04.2025

(महाबीर सिंह मीना)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार।
2. The Joint Director, HRM, DGHRD, 409/8, Deep Shikha, Rajendra Place, New Delhi – 110008 w. r. to email dated 18.03.2025.
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।
5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक (सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एंव लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची/संबंधित एसोसियेशन।
8. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

महाबीर सिंह मीना 24.04.2025

(महाबीर सिंह मीना)
अपर आयुक्त

"एनक्जर–अ"

कार्यालय मुख्य आयुक्त
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

सेवा की शर्तें

(1) किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो–

(क) भारत का नागरिक हों, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ड.) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।

– किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया हो।

(2) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(3) उन्हें कार्यग्रहण के समय दिए गए फार्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :

" मैं घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।

(ख) मैं विवाहित हूँ और मेरे एक ही जीवित पत्नी है।

– मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाये तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।

(4) उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(5) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय–समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।

(6) किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।

(7) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(8) उनको कार्यग्रहण के समय दिए गए फार्म में वचन देना होगा :–

"मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय–समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।

(9) उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।

(10) उनको विभागीय परीक्षा नियमावली के तहत निर्धारित विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(11) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है, जब तक कि संबंधित जाति/वर्ग प्रमाण–पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाऐं बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(12) All new entrants, who join the Central Government Service will have option either to be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F. No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003 or Unified Pension Scheme introduced vide Notification dated 24.01.2025 by the Ministry of Finance (Department of Financial Service), New Delhi.